x Part नामा रवां

31.1.23

2022/319

कोठारी स्टेशनर्स, मांडलगढ़ ☏ 230289

राजस्थान सरकार

तां. पेशी स्टेज
26.7.23
T.B.R मांगे
रिपोर्ट हेतु
आरदेश
आदेशार्थ
अपेक्षित

(कायदा — 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेक्स फार्म नम्बर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला-भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नम्बर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	फैसला क्रमांक 5
धारा 251(1)A RTA	298/22	14/12/22	Anti 20/12/22	2/8 20.9.23 तहसील से रिपोर्ट प्राप्त हुई तो आवश्यक कार्यवाही

अनवान

श्री यमुनाशंकर S/o कन्हैयालाल धाकड़ जावदा, बिजौलियाँ .... श्री कैलाश S/o भूरा धाकड़ नि. जावदा, बिजौलिया

निवासी .... निवासी ....

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट
ओम प्रकाश शर्मा
हर्षवर्धन शर्मा
डिक्रीदार

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट
[signature]
रेस्पांडेन्ट / मदयूनाद

श्री .... श्री ....

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

जमुना शंकर बनाम कैलाश

किस्म मुकदमा – 251A नम्बर 298 / 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/12 /2022	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 31/1/2023 को पेश हों। उप खण्ड अधिकारी बिजौलिया बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	
31/1/23	पत्रावली पेश हुई। अधिकारी … । उपस्थित श्रीमान P.O. सा … नहीं दिनांक 28.2.23 को वास्ते त/ज पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
28/3/23	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप.। पत्रावली वास्ते त/ज दिनांक 04/04/23 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	
4/4/23	पत्रावली पेश हुई। विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई। विपक्षीगण की ओर से असालतन/वकालतन अनुपस्थित। न्यायालय में विपक्षीगण को 3 बार आवाज लगाई गई। विपक्षीगण उपस्थित नहीं हुए, अतः विपक्षीगण के विरूद्ध एकपक्षीय का आदेश दिए जाता है। तहसीलदार बिजौलिया से मौका रिपोर्ट मँगवाने हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली वास्ते मौका रिपोर्ट देखने दिनांक 9/5/2023 को पेश हो उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

9/5/23 पत्रावली पेंश हुई। अभिभाषक वा... है
उपस्थित श्रीमान P.O.सा दौरे पर है। प्रा...
दिनांक 6/6/23 को वास्ते मौ. रिपो. पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

6/6/23 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार, बिजौलियाँ से मौका रिपोर्ट अप्राप्त। मौका रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु पुनः स्मरण पत्र जारी हो। पत्रावली वास्ते देखने मौका रिपोर्ट तहसीलदार, बिजौलियाँ पत्रावली दिनांक 04/07/2023 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

4/7/23 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार, बिजौलियां से निरिक्षण रिपोर्ट अप्राप्त। पुनः स्मरण पत्र लिखा जाकर, पत्रावली वास्ते तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के आगामी दिनांक 26/7/23 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

26/7/23 पत्रावली पेंश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी
उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली
दिनांक 2/8/23 को वास्त मौका रि. पेश हो।
2/8/23

उप खण्ड अधिकारी

2/8/23 पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी
उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली
दिनांक 20/9/23 को वास्त मौ. रि. पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

Arg.

20/9/23 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार बिजौलिया से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते Arg. आगामी दिनांक 20/12/2023 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-...

APP- A
Crim-5

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलिया

यमुनाशंकर बनाम कैलाश

मुकदमा 251A RTA नं. 298/22 वर्ष

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/12/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया, एवं विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – श्रीमती सीमा तिवाड़ी (RAS) उपखण्ड अधिकारी

दायर तारीख 14.12.2022

प्रार्थनापत्र संख्या :– 298 / 2022

अनवान

1. यमुना शंकर पिता कन्हैयालाल जाति धाकड़ निवासी जावदा तहसील बिजौलियां तह0 बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
2. कजोडी पुत्री भंवरलाल पिता कन्हैयालाल जाति धाकड़ निवासी जावदा तहसील बिजौलियां तह0 बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
3. कमलेश पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड़ निवासी जावदा तहसील बिजौलियां तह0 बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
4. मनीष पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड़ निवासी जावदा तहसील बिजौलियां तह0 बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
5. मांगीलाल पुत्र भंवरलाल पिता कन्हैयालाल जाति धाकड़ निवासी जावदा तहसील बिजौलियां तह0 बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
6. शांति पत्नि स्व. कन्हैयालाल जाति धाकड़ निवासी जावदा तहसील बिजौलियां तह0 बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।

..................प्रार्थीगण

बनाम

01. कैलाश पिता भूरा जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी जावदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा।
02. झमकू पत्नि स्व. भूरा जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी जावदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा।
03. भगवानलाल पिता भूरा जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी जावदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा।
04. सीता पुत्री भूरा जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी जावदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा।
05. देबीलाल पुत्र खेरिग जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी जावदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा।
06. शांतिलाल पुत्र भवानीलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी जावदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा।
07. अजीत कुमार पुत्र जानकीलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी जावदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा।
08. जानकी देवी पत्नि जानकीलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी जावदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा।
09. कनका पुत्री भवानीलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी जावदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा।
10. जेती पत्नि स्व. भवानीलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी जावदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा।
11. केशरबाई पत्नि देबीलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी जावदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा।
12. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।

.... प्रतिवादी

उपस्थित :– श्री ओमप्रकाश शर्मा – अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :– 20/12/2023

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश शर्मा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जावदा पटवार मण्डल जावदा तह0 बिजौलियां की आराजी नं. 338 रकबा 0.4290 है0 भूमि में आने जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी न0 441 / 1, आ0न0 440, आ0न0 407, आ0न0 414, आ0 न0 342 व 338 से होकर रास्ता चाहा गया। प्रार्थीगण उक्त आराजीयात से आने जाने

लगातार पेज संख्या 02 पर

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

हेतु रास्ते का कई वर्षो से निरन्तर उपयोग उपभोग कर प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी पर काश्त की जा रही हैं। मौके पर वर्तमान में भी रास्ते के आलामात मौजूद हैं। रास्ता राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज नहीं होने से प्रार्थीगण को अपनी आराजीयात में आने जाने के लिये परेशानी का सामना करना पड़ता हैं। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास अपनी आराजीयात पर काश्त करने के लिए आने जाने हेतु ट्रेक्टर बैलगाडी से जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही हैं। प्रार्थी को उक्त रास्ते से आने जाने हेतु कभी भी अवरूद्ध किया जा सकता हैं। प्रार्थी के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नही हैं। यह कि प्रार्थीगण विपक्षी की उक्त आराजी पर स्थित 12 फीट चौडे रास्ते को रिकॉर्ड में लेने के बदले में तय किये जाने वाला सरकार मूल्य के आधार मुआवजा भुगतान को तैयार हैं। उक्त आराजीयात पर जाने के लिए रास्ते को नियमानुसार कायम करवाकर राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने के आदेश प्रदान कराना फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षीगण की तलबी करवायी गयी।

विपक्षीगण के बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम जावदा का नक्शा ट्रेस, नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 मौजा ग्राम जावदा, नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 मौजा ग्राम जावदा, नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 मौजा ग्राम जावदा, नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 मौजा ग्राम जावदा, नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 मौजा ग्राम जावदा की प्रस्तुत की हैं।

इस प्रकरण में तहसीदार बिजौलियां से मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार बिजौलियां द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2023/1107 दिनांक 27/07/2023 में अंकित किया कि मौका पर्चा अनुसार ग्राम जावदा के रेकार्डेड रास्ते आ0नं0 442 से शूरू होकर 13 फीट (2 गट्ठा) चौड़ा रास्ते के उपयोग में आ0नं0 441/1 की पश्चिमी मेड के सहारे 0.0056 है0 भूमि आती है जो कैलाशचन्द, भगवानलाल पुत्र भुरा, सीता पुत्री भुरा, झमकू पत्नि भुरा धाकड़ सा0 देह के नाम दर्ज हैं। इसके पश्चात् आ0नं0 407 की पश्चिमी मेड के सहारे रास्ते के उपयोग में 0.0416 है0 भूमि आयेगी जो देवीलाल पुत्र खेरिंग धाकड़ सा0 देह के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त दोनों आ0नं0 441/1, 407 में मौके पर रास्ता बना होकर चालू है। इसके पश्चात् आ0नं0 414 की उतरी मेड के सहारे होकर पश्चिमी पेड के सहारे रास्ते के उपयोग में 0.0320 है0 भूमि आयेगी जो जानकीलाल, शान्तिलाल, कनका पिता भवानीलाल, जेती पत्नी भवानीलाल धाकड़ सा दे हके नाम दर्ज रेकार्ड है। इसके पश्चात नाले के आ0नं0 353 रकबा 0.0032 है0 होकर, आ0नं0 342 की पूर्वी मेड के सहारे रास्ता दिये जाने पर 0.0160 है0 भूमि रास्ते के उपयोग आयेगी जो देबीलाल पिता खेरिंग धाकड़ सा0 देह के नाम दर्ज है इसके पश्चात 339 की पूर्वी मेड के सहारे 0.0088 है0 भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी जो केसरबाई पत्नी देबीलाल धाकड़ सा0 देह के नाम दर्ज है। प्रस्तावित रास्ता रेकॉर्डेड रास्ते के सबसे निकटतम रास्ता है एवं कोई वैकल्पिक रास्ता आसपास नही हैं।

ग्राम जावदा की रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि आराजी किता 06 रकबा 0.1072 है0 भूमि की डी.एल.सी. दर 464127/— रू0 प्रति है0 से भूमि की मालियत 49755/— रूपये का दुगुना से 99510/— रूपये की राशि बनती है।

चूंकि प्रार्थी की भूमि पर पहुंचने के लिए प्रस्तावित रास्ता रेकॉर्डेड रास्ते के सबसे निकटतम रास्ता है एवं कोई वैकल्पिक रास्ता आसपास नही होने से उपरोक्तानुसार ही प्रस्तावित हैं।

तहसीलदार बिजौलियां की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की ग्राम जावदा पटवार मण्डल जावदा की आराजी नं. 338 रकबा 0.4290 है0 भूमि में आने जाने के लिए विपक्षीगण की आराजी न0 441/1, आ0न0 407, आ0न0 414, आ0न0 353, आ0न0 342, आ0न0 339 कुल किता 06 रकबा 0.1072 है0 भूमि रास्ते हेतु उपयोग में आयेगी।

प्रस्तातिव रास्ते की डी.एल.सी. दर 464127/— रू0 प्रति है0 से भूमि की मालियत 49755/— रूपये का दुगुना से 99510/— रूपये की राशि बनती है।

लगातार पेज संख्या 03 पर

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया।

–: आदेश :–

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर ग्राम जावदा पटवार मण्डल जावदा की आराजी नं. 338 रकबा 0.4290 है0 भूमि में आने जाने के लिए विपक्षीगण की आराजी न0 441/1, आ0न0 407, आ0न0 414, आ0न0 353, आ0न0 342, आ0न0 339 कुल किता 06 रकबा 0.1072 है0 भूमि में रास्ता (गै0मू0 रास्ता/पगडंडिया आदि) प्रदत्त किया जाता हैं।

प्रस्तातिव रास्ते की डी.एल.सी. दर 464127/– रू0 प्रति है0 से भूमि की मालियत 49755/– रूपये का दुगुना से 99510/– रूपये की राशि बनती है। जो विपक्षीगण को भुगतान किया जावें अथवा विपक्षीगणों द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर राजकोष में मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति के रूप में जमा करावें। उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में गै0मू0 रास्ता दर्ज करते हुये रास्ते को सिवायचक खाते (रास्ते/पगडंडिया आदि) में दर्ज करने का आदेश दिया जाता हैं।

उक्तानुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता हैं। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बिजौलिया को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक २०/१२/202.3 को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(सीमा तिवारी)
उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)